सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी

2586. श्री कुम्भा राम आर्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी का सामना कर रहे लोगों की कठिनाईयों को दुर करने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वीङ स्वामी- (क) और (ख) राज्य सरकार सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों, किराये के वाहनों और ठेलों द्वारा परिवहन करके पेयजल की सलाई की व्यवस्था करती है इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें कुओं/समुदायिक हौजों को खोदने गहरा करने और उनकी सफाई कर और शहरी तथा ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं को तेल करने के लिये भी कार्य क्रम चलाती है ।

चालू वर्ष में राजस्थान यजल की समस्या का सामना कर रही है । राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिये निम्निलिखित आनुषंगिक कार्यक्रम तैयार किये हैं:—

1. सरकारी टैंकरों, किराये के वाहनों और किराये की बैल गाड़ियों और ऊट गाड़ियों द्वारा परिवहन ;
2. प्याऊ व्यवस्था
3. रेल टैंकरों
4. ग्रामीण एवं शहरी जल सप्लाई योजना कार्यों को तेज करना ;
5. हैंड पम्पों का पुनःस्थापन

राहत संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को चालू वर्ष के मानसून से पूर्व के सूखे के लिये सितम्बर, 1982 के अन्त तक स्वीकृत 3703.30 लाख रुपये की व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी है। इसमें पेयजर कार्यक्रम के लिये व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा शामिल थी :—

(लाख रुपये)

(1) जल परिवहन एंव सप्लाट्ट	27.00
(2) प्याऊ प्रणाली	19.00
(3) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के लिये सावजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी योजनाएं	961.79
(4) शहरी क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी योजनाएं	26.00
(5) पशुओं के लिये पेयजल की सप्लाई . . .	4.00